हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15/05/25 पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप०। तहसीलदार बांदीकुई के पत्रांक 1731 दिनांक 30/04/25 के द्वारा प्राप्त मूल जांच रिपोर्ट शामिल पत्रावली है। वास्ते जवाब पत्रावली दिनांक 03/06/2025 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी बांदीकुई (दौसा)	
03/06/2025 पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप०। वास्ते जवाब पत्रावली दिनांक 10/06/2025 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी बांदीकुई (दौसा)	
10/06/25 पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप०। प्रतिवादीगण को जवाब पेश करने हेतु पर्याप्त अवसर दिया गया परन्तु प्रतिवादीगण द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया। अतः प्रतिवादीगण का जवाब बंद किया जाता है। प्रकरण में उभयपक्ष वकील द्वारा बहस की गयी। हमने वकील उभयपक्ष बहस सुनी। वास्ते आदेश पत्रावली दिनांक 11/06/2025 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी बांदीकुई (दौसा)	
11/06/25 पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप०। वकील उभय पक्ष द्वारा की गयी बहस पर मनन किया। पत्रावली, संलग्न दस्तावेज, तहसीलदार बांदीकुई की रिपोर्ट का अवलोकन किया। तहसीलदार बसवा की रिपोर्ट दिनांक 14/08/2019 (छायाप्रति) द्वारा वाद प्रा०पत्र में अंकित खसरा नंबरान का नक्शा ट्रेस हाल को गत नंबर ट्रेस के अनुसार दुरुस्त किया जाना उचित प्रतीत माना है तथा तहसीलदार बांदीकुई की रिपोर्ट दिनांक 30/4/25	

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	के द्वारा गत एवं हाल नक्शा ट्रेस के नवीन खसरा नंबरान में तुलनात्मक अंतर नजर आना पाया है। अतः वकील अप्रार्थी बहस पर मनन कर पत्रावली में संलग्न राजस्व दस्तावेजात, तहसीलदार बांदीकुई की रिपोर्ट दिनांक 30।4।24 का अवलोकन करने के आधारपर वादी वाद स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बांदीकुई को आदेश दिये जाते है कि भूमि खसरा नंबरान पुराने 304 नये खसरा नंबर 480, 487, 488, 493 कुल किता 4 कुल रकबा 0.14 हैक्टे. एवं पुरानी खसरा नं. 314 जिसके नये खसरा नं. 481, 508, 509, 510, 511 कुल किता 5 कुल रकबा 0.35 हैक्टे. वाके जागीर बांदीकुई तह. बांदीकुई जिला दौसा के गत व वर्तमान नक्शे एवं मौके की तुलना करे अंतर होने पर तदनुसार शुद्ध कर राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद करें। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।—
	(हस्ताक्षर) 11/6 उप खण्ड अधिकारी बांदीकुई (दौसा)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी श्री रामसिंह राजावत आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई

वाद संख्या – 43/2018

लोकमान्य सिंह पुत्र कुशाल सिंह जाति राजपूत निवासी जागीर बॉदीकुई तहसील बसवा हाल बांदीकुई जिला दौसा।

–: वादी

बनाम

1. नगर पालिका मण्डल बॉदीकुई जरिये अधिशाषी अधिकारी/अध्यक्ष नगर पालिका मण्डल बॉदीकुई
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील बसवा हाल बांदीकुई।

–: प्रतिवादीगण

दावा उदघोषणा दुरूस्थी इन्द्राज एवं हुक्म इम्तनाई दवामि

दिनांक निर्णय–11.06.2025

प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि एक वाद बाबत दावा उदघोषणा दुरूस्थी इन्द्राज एवं हुक्म इम्तनाई दवामि वादी लोकमान्य सिंह पुत्र कुशाल सिंह द्वारा जरिये वकील श्री सम्पतराम जांगिड ने दिनांक 15.02.2018 को पेश कर निवेदन किया कि ग्राम बॉदीकुई जागीर तहसील बसवा हाल बांदीकुई जिला दौसा में भूमि गत खसरा नं0 304 रकबा 11 बिस्वा कायम रही है जिसके नवीन खसरा नं0 480 रकबा 0.07 है0, खसरा नं0 487 रकबा 0.02 है0, खसरा नं0 488 रकबा 0.02 है0, खसरा नं0 493 रकबा 0.03 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 0.14 है0 कायम हुये है इसी प्रकार गत खसरा नम्बर 314 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा कायम रहे है जिसके हाल नवीन खसरा नं0 481 रकबा 0.04 है0, खसरा नं0 508 रकबा 0.05 है0, खसरा नं0 509 रकबा 0.07 है0, खसरा नं0 510 रकबा 0.06 है0, खसरा नं0 511 रकबा 0.13 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 0.5 है0 कायम हुये है जिसको आगे चलकर भूमि मुतदाविया के नाम से सम्बोधित किया जावेगा।

भूमि मुतदाविया के गत खसरा नं0 304 एवं 314 ग्राम बॉदीकुई जागीर तहसील बसवा हाल बांदीकुई की समलित खातेदारी की भूमि रही है जिसको सम्बधित खातेदारान जो वादी के परिजन है से दिनांक 13/12/1994 को कीमत भूमि अदा करके खरीद की है तभी से वादी भूमि मुतदाविया पर काबिज होकर काश्त कर लाभांन्वित होता चला आ रहा है।

भूमि मुतदाविया को अब धारा 90 बी के अन्तर्गत अब उक्त भूमि मुतदाविया को प्रतिवादी संख्या 1 नगर पालिका मण्डल बॉदीकुई के नाम दर्ज रिकार्ड हो गयी अब नगर पालिका बॉदीकुई का नाम दर्ज जमांबदी हो गयी है। लेकिन भूमि पर आज भी बदस्तुर मालिक कब्जा काश्त चला आ रहा है जिससे किसी का भी किसी भी प्रकार का कोई सम्बन्ध

Scanned with OKEN Scanner

व सरोकार नही है भूमि मुतदाविया का वादी बाद खरीद खातेदार काश्तकार है तथा सम्पूर्ण मालिकाना हक व अधिकारात प्राप्त है प्रतिवादीगण का भूमि से किसी भी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है।

भूमि मुतदाविया को भू प्रबन्धक विभाग ने गत नक्शा व हाल में कायम किये गये नक्शो को मिलान करने पर स्पष्ट है कि भूमि खसरा नं0 480, 487, 488, 493 गत नक्शे अनुसार न बनाकर गलत बनाया गया है इसी प्रकार गत खसरा नं0 314 के नवीन खसरा नं0 481, 508, 509, 510, 511 गत नक्शानुसार न बनाकर गलत बनाया गया है उक्त नम्बरान का क्षेत्रफल तो गत जमाबंदी अनुसार मेल खाता है पर नवीन नक्शे में बनाये नम्बरान की रकबा बराबरी करने से क्षेत्रफल नही बैठता है अर्थात भू प्रबन्धक विभाग के द्वारा पुरानी नक्शा के अनुसार नया नक्शा कायम सही किया है। इसलिये वादी न्यायालय हाजा से भू प्रबन्धक विभाग के द्वारा गलत किये गये नक्शे को पूर्व नक्शे के अनुसार सही करवाने का अधिकारी है।

उदघोषणा बहक वादी वरखिलाफ प्रतिवादीगण इस अमर की जारी फरमायी जावे कि भूमि खसरा पुराने 304 जिसके नये खसरा नं0 480, 487, 488, 493 कुल किता 4 कुल रकबा 0.14 है0 एवं पुरानी खसरा नं0 314 जिसके नये खसरा नं0 481, 508, 509, 510, 511 कुल किता 5 कुल रकबा 0.35 है0 वाके रामा जागीर बॉदीकुई तहसील बसवा हाल बांदीकुई जिला दौसा का पूर्व नक्शे के अनुसार बनाया गलत नक्शा को दुरूस्थ किया जाकर नाप के अनुसार पूर्व नक्शे के अनुसार सही किया जाकर सही नक्शा मौके की नाप की जाकर बनवाया जावे इस अमर की दुरुस्थी की उदघोषणा वादी न्यायालय हाजा से अपने हक में प्राप्त करने का अधिकारी है।

प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा इस अमर से पाबंद फरमाया जावे कि प्रतिवादी संख्या 1 भूमि मुतदाविया खसरा नम्बर पुराने 304 नये खसरा नं0 480, 487, 488, 493 कुल किता 4 कुल रकबा 0.14 है0 एवं पुरानी खसरा नं0 314 जिसके नये खसरा नं0 481, 508, 509, 510, 511 कुल किता 5 कुल रकबा 0.35 है0 वाके जागीर बॉदीकुई तहसील बसवा हाल बांदीकुई जिला दौसा का जब तक पुर्व नक्शे के अनुसार नक्शा दुरूस्थ न हो जावे तब तक भूमि की बाबत किसी को पटटा जारी करने से, खाम या पुख्ता निर्माण करने से, वादी के उपयोग उपभोग में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करने से, तथा किसी दीगर को खाम या पुख्ता निर्माण करवाने से, पाबंद रहे है मौके व राजस्व रिकार्ड की यथावत स्थित बनाये रखे एवं प्रतिवादी संख्या 2 राजस्व रिकार्ड में किसी प्रकार की तब्दीली न करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलबी प्रतिवादीगण करवाई गई। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से वकील श्री अनिल भट्ट का वकालतनामा पेश हुआ। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से कोई जवाब पेश नही होन पर जवाब बंद किया गया। प्रकरण में तत्समय तहसीलदार बसवा से रिपोर्ट तलब की गई एवं आदेशिका दिनांक 07.01.2025 को तहसीलदार बांदीकुई से रिपोर्ट चाही गई। प्रकरण में तहसीलदार बसवा के पत्रांक/भू0अ0/2019/3129 दिनांक 14.08.2019 एवं तहसीलदार बांदीकुई के पत्रांक/भू0अ0/2025/1731 दिनांक 30.04.2025

αype-

द्वारा रिपोर्ट भिजवाई गई। जिनके अनुसार गत एवं हाल नक्शा ट्रेस के नवीन खसरा नम्बरान में तुलनात्मक अन्तर नजर आना व्यक्त किया गया है। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

तहसीलदार रिपोर्ट एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात जमाबंदी संवत् 2055–2058, नक्शा ट्रेस, जमाबंदी संवत् 2071–74 खाता संख्या 177, साबिक नक्शा ट्रेस, मिलान क्षेत्रफल का अवलोकन किया गया। जमाबंदी संवत 2055–2058 के अनुसार वादी के पूर्वज वादग्रस्त भूमि के खातेदार रहे है। तहसीलदार बसवा एवं बांदीकुई की रिपोर्ट के आधार पर गत एवं हाल नक्शा ट्रेस के नवीन खसरा नम्बरान में तुलनात्मक अन्तर होना प्रतीत होता है। अतः दावा उदघोषणा दुरूस्थी इन्द्राज एवं स्थाई निषेधाज्ञा को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बांदीकुई को निर्देश दिये जाते है कि भूमि खसरा नम्बर पुराने 304 नये खसरा नं0 480, 487, 488, 493 कुल किता 4 कुल रकबा 0.14 है0 एवं पुरानी खसरा नं0 314 जिसके नये खसरा नं0 481, 508, 509, 510, 511 कुल किता 5 कुल रकबा 0.35 है0 वाके जांगीर बॉदीकुई तहसील बांदीकुई जिला दौसा के गत व वर्तमान नक्शे एवं मौके की तुलना करे, अंतर होने पर तद्नुसार शुद्ध कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। पर्चा डिक्री एवं तहरीर जारी होकर प्रकरण बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 11.06.2025 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया । पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

[signature] 11/6/25

(रामसिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

जज अदालत–न्यायाल उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई मुकाम–बांदीकुई

जज इजलास– रामसिंह राजावत आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई

उनवान– लोकमान्य सिंह बनाम नगरपालिका मण्डल बांदीकुई

दावा बाबत – उदघोषणा दुरूस्थी इन्द्राज एवं हुक्म इम्तनाई दवामि

मुकदमा नम्बर : 43/2018

आदेश है कि वाद वादी दावा उद्घोषणा दुरूस्थी इन्द्राज एवं हुक्म इम्तनाई दवामि वादी लोकमान्य सिंह पुत्र कुशाल सिंह जाति राजपूत निवासी जागीर बॉदीकुई तहसील बांदीकुई जिला दौसा स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार बांदीकुई को निर्देश दिये जाते है कि भूमि खसरा नम्बर पुराने 304 नये खसरा नं0 480, 487, 488, 493 कुल किता 4 कुल रकबा 0.14 है0 एवं पुरानी खसरा नं0 314 जिसके नये खसरा नं0 481, 508, 509, 510, 511 कुल किता 5 कुल रकबा 0.35 है0 वाके जांगीर बॉदीकुई तहसील बांदीकुई जिला दौसा के गत व वर्तमान नक्शे एवं मौके की तुलना करे, अंतर होने पर तद्नुसार शुद्ध कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे।

निज...............मुबलिग...बाबत्...खर्चा इस मुकदमें के मय सूद मसरह फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक का अदा करें। बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 11 माह 06 सन् 2025 को जारी की गई।

(हस्ताक्षर) 11/6/25

(रामसिंह राजावत)
आरएएस
उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालत नामास्टाम्प वजह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान	निल	निल	स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प अर्जी महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान	निल	निल

(हस्ताक्षर) 11/6/25

दस्तखत...................

ओहदा...................

Scanned with OKEN Scanner

सत्यमेव जयते

सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई, जिला दौसा

क्रमांक/राजस्व/2025/586 दिनांकः– 12.06.2025

तहसीलदार
तहसील बांदीकुई, जिला–दौसा

विषय– उनवानी प्रकरण लोकमान्य सिंह बनाम नगरपालिका मण्डल बांदीकुई मु.न. 43/2018 में पारित निर्णय डिक्री दिनांक 11.06.2025 की पालना करने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि न्यायालय हाजा में विचाराधीन उनवानी प्रकरण लोकमान्य सिंह बनाम नगरपालिका मण्डल बांदीकुई मु.न. 43/2018 में दिनांक 11.06. 2025 को पारित निर्णय की पालना की जानी है।

अतः उनवानी प्रकरण लोकमान्य सिंह बनाम नगरपालिका मण्डल बांदीकुई में पारित निर्णय दिनांक 11.06.2025 की प्रमाणित प्रति भेजकर लेख है कि वादग्रस्त भूमि में किसी अन्य न्यायालय का स्थगन जारी ना हो तो निर्णय अनुसार पालना सुनिश्चित करे।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

12/6/25

(रामसिंह राजावत)
उप जिला कलक्टर
बांदीकुई

Scanned with OKEN Scanner

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई, जिला दौसा

कमांक/राजस्व/2025/ 586

दिनांकः– 12/06/2025

तहसीलदार
तहसील बांदीकुई, जिला–दौसा

विषय– उनवानी प्रकरण लोकमान्य सिंह बनाम नगरपालिका मण्डल बांदीकुई मु.न. 43/2018 में पारित निर्णय डिकी दिनांक 11.06.2025 की पालना करने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि न्यायालय हाजा में विचराधीन उनवानी प्रकरण लोकमान्य सिंह बनाम नगरपालिका मण्डल बांदीकुई मु.न. 43/2018 में दिनांक 11.06.2025 को पारित निर्णय की पालना की जानी है।

अतः उनवानी प्रकरण लोकमान्य सिंह बनाम नगरपालिका मण्डल बांदीकुई में पारित निर्णय दिनांक 11.06.2025 की प्रमाणित प्रति भेजकर लेख है कि वादग्रस्त भूमि में किसी अन्य न्यायालय का स्थगन जारी ना हो तो निर्णय अनुसार पालना सुनिश्चित करे।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

12/6/25

(रामसिंह राजावत)
उप जिला कलक्टर
बांदीकुई

Scanned with OKEN Scanner